बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

दिनांक 13.02.2026 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही :

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी परिक्षेत्राधीन सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, भभुआ के अधीन बेतरी वितरणी के 0.00 कि०मी० से 7.04 कि०मी० तक पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य, एकरारनामा सं०–01SBD/2020-21 में समयवृद्धि के प्रस्ताव पर विचार हेतु आयोजित विभागीय निविदा समिति की बैठक में निम्न पदाधिकारियों ने भाग लिया :–

1. श्री संतोष कुमार मल्ल, प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना।
2. श्री अवधेश कुमार, अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, पटना।
3. श्री अरविन्द कुमार वर्मा, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, पटना।
4. श्री अजय कुमार सिंह, मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी – ऑनलाईन

कार्य की विवरणी :–

(क) कार्य का नाम	:	बेतरी वितरणी के 0.00 कि०मी० से 7.04 कि०मी० तक पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य।
(ख) प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	1499.04 लाख रूपये, विभागीय पत्रांक 1518 दिनांक 03.12.2019
(ग) एकरारनामा सं०	:	01SBD/2020-21
(घ) एकरारित राशि	:	1450.33 लाख रूपये
(च) संवेदक का नाम	:	Systematic & Advance Construction Pvt. Ltd., Patna
(छ) कार्य प्रारंभ की तिथि	:	26.05.2020
(ज) कार्य पूर्ण करने की एकरारित तिथि	:	25.11.2021
(झ) कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	:	03.10.2023
(ट) कार्य की अद्यतन स्थिति	:	100%
(ठ) प्रस्तावित समय वृद्धि	:	03.10.2023 (प्रथम)
(ड) प्रमंडल का नाम	:	सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, भभुआ

समीक्षा :–

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी परिक्षेत्राधीन सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, भभुआ के अधीन बेतरी वितरणी के 0.00 कि०मी० से 7.04 कि०मी० तक पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य, एकरारनामा सं०–01SBD/2020-21 के समयवृद्धि हेतु मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी के पत्रांक 4143 दिनांक 28.11.2025 द्वारा अनुशंसा सहित प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा की गई है।

संवेदक द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र समर्पित किया गया है कि समयवृद्धि होने के उपरांत उनके द्वारा विस्तारित अवधि में कोई वित्तीय दावा नहीं किया जायेगा।

समीक्षोपरांत पाया गया कि मुख्यतः निम्न कारणों से एकरारित अवधि तक कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका :–

(i) खरीफ एवं रब्बी सिंचाई वर्ष 2020, 2021 एवं वर्ष 2022 में बेतरी वितरणी से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जलश्राव प्रवाहित रहने के कारण कुल 464 दिन कार्य बाधित होना।

(ii) कोरोना महामारी (कोविड–19) के फलस्वरूप लॉकडाउन के कारण दिनांक 16.03.2021 से 30.04.2021 तक कुल 46 दिन कार्य बाधित होना।

(iii) मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी द्वारा दिनांक 25.05.2023 को स्थल–पंजी पर बेतरी वितरणी के चेन संख्या–3.45 कि०मी० से 3.48 कि०मी० तथा चेन संख्या–4.592 कि०मी० से 4.652 कि०मी० तक कुल 90 मीटर की लम्बाई में Protection wall का निर्माण कार्य एवं चेन संख्या–0.494 कि०मी० पर Foot Bridge एवं 0.910 कि०मी० पर Deck Slab का निर्माण कार्य किया जाना।

बाधित अवधि			अभ्युक्ति
(क)	खरीफ एवं रब्बी सिंचाई के कारण कार्य बाधित हुई है। दिनांक 01.06.2020 से 31.10.2020 तक। दिनांक 15.01.2021 से 15.03.2021 तक। दिनांक 15.06.2021 से 20.10.2021 तक। दिनांक 15.06.2022 से 15.10.2022 तक।	464 दिन	
(ख)	कोरोना महामारी (कोविड–19) के फलस्वरूप लॉकडाउन के कारण कार्य बाधित हुआ है। दिनांक 16.03.2021 से 30.04.2021 तक।	46 दिन	
	कुल	510 दिन	

कार्यकारी अवधि की गणना			
(1)	एकरारनामा के अनुसार कार्य करने की अवधि	दिनांक 26.05.2020 से दिनांक 05.11.2021	549 दिन
(2)	एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि एवं एकरारित कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि (दिनांक 01.04.2023) के बीच की अवधि	दिनांक 26.05.2020 से दिनांक 01.04.2023	1041 दिन
(3)	कुल बाधित अवधि		510 दिन
(4)	एकरारित कार्य हेतु कार्यकारी अवधि (2–3) (1041–510= 531)		531 दिन
(5)	अतिरिक्त कार्य हेतु स्थल–पंजी पर मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी द्वारा दिया गया आदेश	दिनांक 25.05.2023	
(6)	आदेशित अतिरिक्त कार्य प्रारंभ की तिथि एवं अतिरिक्त कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि के बीच की अवधि	दिनांक 25.05.2023 से दिनांक 03.10.2023	132 दिन

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि एकरारनामा के अनुसार कार्य करने की अवधि 549 दिन के विरूद्ध 531 दिन में कार्य पूर्ण किया गया।

इसके अतिरिक्त दिनांक 25.05.2023 को स्थल–पंजी पर मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी द्वारा बेतरी वितरणी के 90 मीटर की लम्बाई में Protection wall के साथ–साथ Foot Bridge एवं Deck Slab का निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान की गई है, जिसे पूर्ण करा लिया गया है।

SBD एकरारनामा के Clauses of Contract की कंडिका 12.1 के अनुसार एकरारित राशि में वृद्धि के क्रम में कार्य को पूर्ण करने के लिए अवधि विस्तार दिये जाने का प्रावधान है।

उपरोक्त के आलोक में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी द्वारा उक्त एकरारनामा में दिनांक 03.10.2023 तक समयवृद्धि दिये जाने का अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

<u>विभागीय निविदा समिति का निर्णय</u> :–

सम्यक समीक्षोपरान्त् सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, भभुआ अंतर्गत बेतरी वितरणी के 0.00 कि०मी० से 7.04 कि०मी० तक पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य, एकरारनामा सं०–01SBD/2020-21 में दिनांक 03.10.2023 तक की समयवृद्धि पर विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति प्रदान की जाती है। संवेदक द्वारा समर्पित शपथ–पत्र के आलोक में समय विस्तार के फलस्वरूप कोई अतिरिक्त वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा।

13/02/26	13/02/26	13/02/2026	13/2
(अजय कुमार सिंह) मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी	(अरविन्द कुमार वर्मा) आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, पटना	(अवधेश कुमार) अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन जल संसाधन विभाग, पटना	(संतोष कुमार मल्ल) प्रधान सचिव जल संसाधन विभाग, पटना

पत्रांक : मो0–03–कार्य–डी0–03/25– 380 पटना, दिनांक : 16/02/26

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी को विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/02/26

अधीक्षण अभियंता

यो० एवं मो० अंचल०–2, पटना।

पत्रांक : मो0–03–कार्य–डी0–03/25– 380 पटना, दिनांक : 16/02/26

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, आई० टी०, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/02/26.

अधीक्षण अभियंता

यो० एवं मो० अंचल०–2, पटना।